

**HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 5th July, 2013

No. CCP(NCR)/YGR/Chhachhrauli/CA/2013/1675:--Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the Controlled Area around village Chhachhrauli (Hadbast Number-311), district Yamuna Nagar to be read with Drawing No. D.T.P.(Y) 282/2012, dated 16th January, 2012.

North : Starting from point 'A' i.e., the tri-junction of the revenue boundaries of village Chholi (Hadbast Number-215), village Daryapur (Hadbast Number-303) and village Bisationwala (Hadbast Number-216), thence moving towards east along the northern revenue boundaries of village Chholi (Hadbast Number-215), village Ganauli (Hadbast Number-309) and village Ashabpur (Hadbast Number-212) up to point 'B', which is the tri-junction of village Ashabpur (Hadbast Number-212), village Khanpur (Hadbast Number-213) and village Khanpuri (Hadbast Number-210).

East : Thence moving from point 'B' towards south along the eastern revenue boundaries of village Ashabpur (Hadbast Number-212), village Nahar Taharpur (Hadbast Number-211), village Chuaharpur Khurd (Hadbast Number-207), village Sherpur (Hadbast Number-206) and village Singpura (Hadbast Number-205) up to point 'C' which is the south-east corner of Rectangle Number-13 of village Singpura (Hadbast Number-205), where it meets the Controlled Area boundary of Dadupur Head Works declared vide Haryana Government Gazette notification no. 12038-10DP-81/21145 dated the 21st December, 1981 published on 19th January, 1982. Thence moving towards south-west along the boundary of above mentioned Controlled Area up to point 'D' i.e., the south-east corner of rectangle number-100 of village Balachaur (Hadbast Number-312).

South : Thence moving from point 'D' towards north-west along the revenue boundary of village Balachaur (Hadbast Number-312) up to Point 'E' i.e., south-west corner of rectangle number-89 of village Balachaur (Hadbast Number-312) where it also meets the boundary of Additional Controlled Area-III of Yamuna Nagar-Jagadhri vide Haryana Government Gazette notification no. CCP(NCR) YN (ACA-III)/A/ 2007/422 dated the 9th February, 2007, published on the 9th February, 2007.

West : Thence moving from point 'E' in anti clock wise direction along the boundary of Additional Controlled Area-III, Yamuna Nagar-Jagadhri declared vide Haryana Govt. Gazette notification no. CCP(NCR)YN(ACA-III)/A/2007/422 dated the 9th February, 2007, published on 9th February, 2007 up to point 'F' which is the tri-junction of revenue boundaries of village Ledakhas (Hadbast Number-310), village Jatheri (Hadbast Number-307) and village Salempur Bangar (Hadbast Number-321). Thence moving towards north-east along the revenue boundary of village Ledakhas (Hadbast Number-310) upto point 'G' which is the tri-junction of village Ledakhas (Hadbast Number-310), village Ganaula (Hadbast Number-308) and village Jetheri (Hadbast Number-307). Thence moving towards north-west along the south-west revenue boundaries of village Ganaula (Hadbast Number-308) and village Sankhera (Hadbast Number-306) upto point 'H' which is the tri-junction of village Pheruwala (Hadbast Number-301), village Chagnauli (Hadbast Number-304) and village Sankhera (Hadbast Number-306). Thence moving towards north-east along the western revenue boundary of village Sankhera (Hadbast Number-306) and village Chholi (Hadbast no. 215) up to point 'A' i.e., which is the point of start.

T.C. GUPTA,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 5 जुलाई, 2013

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/वाई.जी.आर.-छछरौली/सी.ए./2013/1675,—चूंकि, सरकार की राय में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिये संभाव्य है:

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

गांव छछरौली (हदबस्त संख्या-311), जिला यमुनानगर के चारों ओर नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी.टी. पी.(वाई)-282/2012, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के साथ पढ़ा जाए ।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव छौली (हदबस्त संख्या 215), गांव दरयापुर (हदबस्त संख्या-303) और गांव बिसातियावाला (हदबस्त संख्या-216) की राजस्व सीमाओं का मिलन बिन्दु है, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गाँव छौली (हदबस्त संख्या-215)), गाँव गनौली (हदबस्त संख्या-309) और गांव असाबपुर (हदबस्त संख्या-212) की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि तीन गांव असाबपुर (हदबस्त संख्या-212), गांव खानपुर (हदबस्त संख्या-213) और गांव खानपुरी (हदबस्त संख्या-210) की राजस्व सीमाओं का मिलन बिन्दु है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव असाबपुर (हदबस्त संख्या-212), गांव नाहर ताहरपुर (हदबस्त संख्या-211), गांव चुहड़पुर खूर्द (हदबस्त संख्या-207), गांव शेरपुर (हदबस्त संख्या-206) और गांव सिंहपुरा (हदबस्त संख्या-205) की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव सिंहपुरा (हदबस्त संख्या-205) की आयत संख्या-13 का दक्षिण-पूर्व कोना है जहां यह नियंत्रित क्षेत्र दादुपुर हैड वर्क्स, जोकि हरियाणा राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 1982 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12038-10 डी पी-81/21145, दिनांक 21 दिसम्बर, 1981 द्वारा घोषित की सीमा से मिलती है। तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर उपरोक्त वर्णित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जोकि गांव बलाचौर (हदबस्त संख्या-312) की आयत संख्या-100 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर गांव बलाचौर (हदबस्त संख्या-312) की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक जो कि गांव बलाचौर (हदबस्त संख्या-312) की आयत संख्या-89 का दक्षिण-पश्चिम कोना है जहां यह अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र भाग-III यमुनानगर-जगाधरी, हरियाणा राजपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2007 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/वाई एन(ए.सी.ए.-III)/ए/2007/422, दिनांक 9 फरवरी, 2007 द्वारा घोषित की सीमा से मिलती है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'ई' से होते हुए घड़ी की सूईयों की प्रतिकूल दिशा में अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र भाग-III यमुनानगर-जगाधरी, हरियाणा राजपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2007 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/वाई एन(ए.सी.ए.-III)/ए/2007/422, दिनांक 9 फरवरी, 2007 द्वारा घोषित की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एफ' तक जो कि तीन गांव लेदा खास (हदबस्त संख्या-310), गांव जटेहडी (हदबस्त संख्या-307) और गांव सलेमपुर बांगर (हदबस्त संख्या-321) की राजस्व सीमाओं का मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर गांव लेदा खास (हदबस्त संख्या-310) की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'जी' तक जो कि तीन गांव लेदा खास (हदबस्त संख्या-310), गांव गनौला (हदबस्त संख्या-308) और गांव जटेहडी (हदबस्त संख्या-307) का मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर गांव गनौला (हदबस्त संख्या-308) और गांव संखेडा (हदबस्त संख्या-306) की दक्षिण- पश्चिम राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एच' जो कि तीन गांव फेरुवाला (हदबस्त संख्या-301), गांव चगनौली (हदबस्त संख्या-304) और गांव संखेडा (हदबस्त संख्या-306) का मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर गांव संखेडा (हदबस्त संख्या-306) तथा गांव छौली (हदबस्त संख्या 215) की पश्चिम राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है।

टी. सी. गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।